उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 416702

TRY. LKO.
कोषागार लखनऊ के पास
8 MAR 2007
स. को. अ./ कोषाधिकारी
कोषागार लखनऊ
TRY. LKO.

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	:	कृषि
2.	परगना	:	बिजनौर
3.	ग्राम	:	हसनपुर खेषली
4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0)	:	भूमि खसरा संख्या-268, 269, 320, 321
5.	मापन की इकाई	:	हेक्टेअर
6.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:	0.4343 हैक्टेअर
7.	सम्पत्ति का प्रकार	:	कृषि
8.	पेड़ों का मूल्यांकन	:	नहीं
9.	बोरिंग/कुआं/अन्य	:	नहीं
10.	प्रतिफल की धनराशि	:	रू0 11,66,530/-
11.	मालियत	:	रू0 5,97,162/-
12.	स्टाम्प	:	रू0 1,16,700/-

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 416703

-2-

चौहद्दी

खसरा न0 268

पूरब : खसरा संख्या–269, 270
पश्चिम : खसरा संख्या–265, 264
उत्तर : खसरा संख्या–267, 326
दक्षिण : खसरा संख्या–260, 261

खसरा न0 269

पूरब : खसरा संख्या–270
पश्चिम : खसरा संख्या–268
उत्तर : खसरा संख्या–270
दक्षिण : खसरा संख्या–258, 259

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

416704

खसरा न० 320

पूरब	: खसरा संख्या–322
पश्चिम	: खसरा संख्या–325
उत्तर	: खसरा संख्या–321
दक्षिण	: खसरा संख्या–318, 319

खसरा न० 321

पूरब	: खसरा संख्या–322
पश्चिम	: खसरा संख्या–325
उत्तर	: खसरा संख्या–324
दक्षिण	: खसरा संख्या–320

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 416705

6 MAR 2007

प्रथम पक्ष की संख्या–01 द्वितीय पक्ष की संख्या–01

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
विन्दा प्रसाद पुत्र मोहनलाल निवासी– हसनपुर खेवली, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ। व्यवसाय – कृषि	:	लक्ष्मी प्रसाद रावत पुत्र श्री मैकू लाल रावत निवासी–रतियामऊ, गोसाईगंज, लखनऊ। व्यवसाय – कृषि

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

03BB 812489

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख विन्दा प्रसाद पुत्र मोहनलाल निवासी– हसनपुर खेवली, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हे आगे विक्रेता कहा गया है, एवम् लक्ष्मी प्रसाद रावत पुत्र श्री मैकू लाल रावत निवासी–रतियामऊ, गोसाईगंज, लखनऊ जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 19558

TRY. LKO. 9 MAR 2007

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या–268 रकबा 0.6580 हेक्टेअर, खसरा संख्या–269 रकबा 0.506 हेक्टेअर, खसरा संख्या–320 रकबा 0.079 हेक्टेअर, व खसरा संख्या–321 रकबा 0.060 हेक्टेअर कुल 4 किता व कुल रकबा 1.303 हेक्टेअर का 1/3 भाग यानि रकबा 0.4343 हेक्टेअर, स्थित–ग्राम– हसनपुर खेवली, परगना– बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, की मालिक, कामिल व काबिज हैं तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या 00271 के अनुसार

500 Rs.

6 MAR 2001

उक्त भूमि विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में को हो गया है, उक्त भूमि विक्रेता को विरासत में मिली है विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी जोर जबरदस्ती या दबाव के, क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह के विक्रेता यह घोषित करते हैं कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 809997

साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नही किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अर्न्तगत विवाद का वस्तु विषय नही है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उवत भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहपति के फलस्वरूप रू0 11,66,530/- (रूपया ग्यारह

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 809998

लाख छाछठ हजार पाँच सौ तीस मात्र) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करता है, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त मे अनुसूची के अर्न्तगत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी

करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वाामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेगे। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नही डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थित में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेगें, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम हसनपुर खेवली अर्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ठ ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू0 13,75,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.4343 हेक्टेअर की मालियत रू0 5,97,162/- होता है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 1,16,700/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई पेड़, कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नही है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास मे कोई निर्माण नही है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नही है। विक्रीत

भूमि शहीद पथ से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

भूमि खसरा संख्या–268 रकबा 0.6580 हेक्टेअर, खसरा संख्या–269 रकबा 0.506 हेक्टेअर, खसरा संख्या–320 रकबा 0.079 हेक्टेअर, व खसरा संख्या–321 रकबा 0.060 हेक्टेअर कुल 4 किता व कुल रकबा 1.303 हेक्टेअर का 1/3 भाग यानि रकबा 0.4343 हेक्टेअर, स्थित–ग्राम– हसनपुर खेवली, परगना– बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

1. विक्रेता ने रू0 11,66,530/– (रूपया ग्यारह लाख छाछठ हजार पाँच सौ तीस मात्र) द्वारा चेक संख्या– 413593 दिनांकित 13.03.2007

विक्रय पत्र

1,165,530.00/	598,000.00	5,000.00	40	5,040.00	2,000
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री /श्रीमती बिन्दा प्रसाद

पुत्र / पत्नी श्री मोहनलाल

पेशा कृषि

निवासी स्थायी बिजनौर लखनऊ

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 13/3/2007 समय 6:54PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

ओ.पी.सिंह

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

13/3/2007

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री/श्रीमती बिन्दा प्रसाद

पुत्र/पत्नी श्री मोहनलाल

पेशा कृषि

निवासी बिजनौर लखनऊ

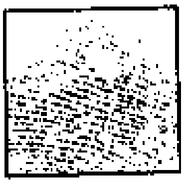

क्रेता

श्री/श्रीमती लक्ष्मी प्रसाद रावत

पुत्र/पत्नी श्री मैकू लाल रावत

पेशा व्यापार

निवासी र.तियामऊ गोसाईगंज लखनऊ

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री वी आर शर्मा

पुत्र श्री ए आर शर्मा

पेशा व्यापार

निवासी मदन मोहन मालवीय मार्ग लखनऊ

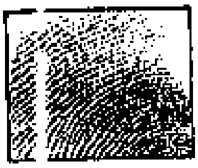

व श्री देवता दीन

पुत्र श्री राजा राम

पेशा नौकरी

निवासी हसनपुर खेवली लखनऊ

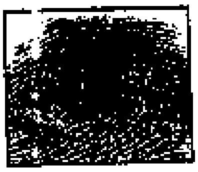

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

ओ.पी.सिंह

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

13/3/2007

पंजाब नेशनल बैंक, शाखा हजरतगंज, लखनऊ, क्रेता से प्राप्त किये।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रू0 11,66,530/- (रूपया ग्यारह लाख छाछठ हजार पाँच सौ तीस मात्र) विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते हैं।

नोट : पृष्ठ संख्या-12 पर चेक संख्या पेन से लिखी हैं।

लखनऊ

दिनांक: 13.03.2007

गवाह

1.

विक्रेता

2.

क्रेता

टाईपकर्ता

(राम सनेही)

सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता

(सैय्यद अन्जर हुसैन)

एडवोकेट

विक्रेता

Registration No 2275 Year : 2007 Book No. 1

0101 विन्दा प्रसाद

मोहनलाल

बिजनौर लखनऊ

कृषि

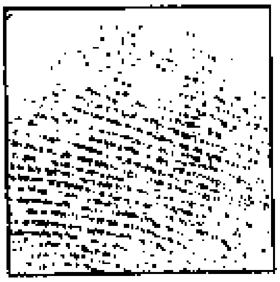

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा - 32 (क) के अनुपालन हेतु,

फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता :- [illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता नाम व पता :- [illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता

Registration No. 2275   Year : 2007   Book No. 1

0201 लक्ष्मी प्रसार रावत

मैकू लाल रावत

रतियापऊ गोसाईगंज लखनऊ

व्यापार

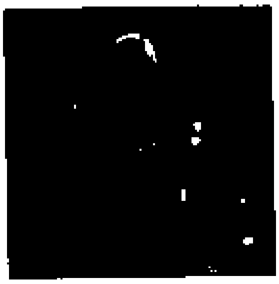

नक्शा नजरी

ग्राम : Nasanpur Khurd

खसरा संख्या— 268, 269, 320, 321

विक्रेता : [illegible]

क्रेता : [illegible]

विक्रीत सम्पत्ति के निकट स्थित समस्त सम्पत्तियों का विवरण

आज दिनांक 13/03/2007 को

बही सं 1 जिल्द सं 8169

पृष्ठ सं. 255 से 284 पर कमांक 2275

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

ओ.पी. सिंह
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
13/3/2007